

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

जीवाजी विश्वविद्यालय,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद्  
ग्वालियर



गाम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751)  
2442828 (कार्यालय)

E-mail :  
jiwajidcdc@gmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2019/6058

दिनांक : 21-05-2019

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

विषय:- सत्र 2019-20 के लिये महाविद्यालय को ऑनलाईन लॉक करने बावत्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक:273/243/आउशि/शाखा-5अ/2019 दिनांक 15 मई 2019 द्वारा प्रोफाईल को लॉक करने की अंतिम तिथि 24 मई 2019 निर्धारित की गई है जिन महाविद्यालयों द्वारा अपनी प्रोफाईल अपलोड नहीं की गयी है एवं लीड कॉलेजों से ऐप्रूव नहीं कराई गयी है वो समस्त महाविद्यालय शीघ्र से शीघ्र अपनी प्रोफाईल समय सीमा में अपलोड करें।

ऐसा न करने की स्थिति में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही होगी उसका समस्त उत्तरदायी महाविद्यालय स्वयं होगा।

डायरेक्टर

महाविद्यालयीन विकास परिषद्

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 273/243/आउशि/शाखा-5'अ'/2019,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 मई, 2019

समय सीमा

1. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, म.प्र.।
2. प्राचार्य संबंधित शासकीय मैपिंग महाविद्यालय म.प्र.।
3. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय म.प्र.।

विषय: महाविद्यालय प्रोफाईल सत्यापन/पुर्नसत्यापन दिनांक 24.5.2019 तक करने बाबत।

संदर्भ: आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र का पत्र क्रमांक 127/243/आउशि/शा-5/अ/2019 दिनांक 08/03/2019 एवं पत्र क्रमांक 206/243/आउशि/शा-5/अ/2019 दिनांक 22/04/2019, क्रमांक 240/243/आउशि/शा-5/अ/2019 दिनांक 30/04/2019,

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि महाविद्यालयों की संबद्धता सहित अन्य जानकारी का पुर्नसत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना है। इस संबंध में पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी भी कई महाविद्यालयों का पुर्नसत्यापन शेष है। अतः, क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों का पुर्नसत्यापन कर दिनांक 24 मई 2019 तक कार्यवाही पूर्ण करें।

2. जिन महाविद्यालयों ने प्रोफाईल दर्ज करने हेतु आई.डी. पासवर्ड प्राप्त नहीं किये हैं वह मैपिंग महाविद्यालय से तत्काल प्राप्त करें तथा आवश्यक दस्तावेजों को मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु दिनांक 24.05.2019 तक कार्यवाही पूर्ण करें।
3. जिन महाविद्यालयों ने सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली है एवं यदि उन्होंने दस्तावेजों का प्रमाणीकरण सुनिश्चित नहीं किया है तो पुनः संबंधित महाविद्यालयों से दस्तावेज प्राप्त कर एवं प्रोफाईल अनलॉक कर सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मैपिंग महाविद्यालय द्वारा सत्यापन में लापरवाही/गलत सत्यापन पाये जाने पर संबंधित प्राचार्यों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। उपरोक्तानुसार सभी कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करें।

DCDC  
16/5/19

(वेद प्रकाश)  
अपर आयुक्त  
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश.

पृ0क्रमांक: 274/243/आउशि/शाखा-5'अ'/2019,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 मई 2019

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय।
3. निज सहायक, आयुक्त/सचिव, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, मान. कुलपति, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, म.प्र.।
5. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित प्राचार्य/अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु।
8. ओ.एस.डी. उच्चशिक्षा, आई.टी. शाखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

अपर आयुक्त  
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश.